निदेशालय
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड
सुद्धोवाला निकट नन्दा की चौकी, चकराता रोड़, देहरादून ।
ई०मेलः dir.icds.ua@g mail.com

पत्रांकः C-1045 / तीलू रौ0–आं0बा0पुर0–7317 / 2024–25, दिनांकः 02 जुलाई, 2024

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी,
उत्तराखण्ड ।

विषयः– **वर्ष 2023–24 के लिए ''आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार'' एवं ''राज्य स्त्री शक्ति तीलू रौतेली'' के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक जैसा कि आप विज्ञ ही है कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी ''राज्य स्त्री शक्ति तीलू रौतेली'' एवं ''आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार'' वितरण कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 08 अगस्त, 2024 को किया जाना प्रस्तावित है।

तद्क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या सी–987 दिनांक 26 जून, 2024 के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के दैनिक समाचार पत्रों में ''राज्य स्त्री शक्ति तीलू रौतेली'' एवं ''आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार'' ऑनलाईन आवेदन करने हेतु विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। आंगनवाडी कार्यकर्ती पुरस्कार एवं तीलू रौतेली पुरस्कार हेतु निर्धारित पात्रता एवं चयन मानदण्डों पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

1– आंगनवाडी कार्यकर्ती पुरस्कार हेतु– शासनादेश संख्या 1063 / XVII(4) / 2022– 05(01)2022 दिनांक 12 जुलाई, 2022 के अधीन पात्र लाभार्थी का चयन किया जाना है, जिसमें अन्य प्राविधानों के साथ–साथ निम्न बिन्दुओं का विशेष संज्ञान लिया जायः–

- आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के रूप में पॉच वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो, तथा वर्तमान में इस रूप में कार्यरत् हो। (सी0डी0पी0ओ0 द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र)
- ऐसे आंगनबाड़ी केन्द्र का संचालन करती हो जहॉ सर्वे के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 03 से 06 वर्ष के न्यूनतम 08 एवं शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम 18 बच्चे पंजीकृत हो। (क्षेत्रीय सुपरवाईजर द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र)
- सम्बन्धित आंगनबाड़ी केन्द्र के समस्त लाभार्थी पोषण ट्रैकर एप में पंजीकृत हो। (क्षेत्रीय सुपरवाईजर द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र)
- सम्बन्धित आंगनबाड़ी केन्द्र के समस्त बच्चों की प्रतिरक्षण दर राज्य स्तरीय सम्पूर्ण प्रतिरक्षण दर से कम न हो। राज्य स्तरीय प्रतिरक्षण दर स्वास्थ्य विभाग / प्रचलित NFHS की रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित की जायेगी।
- जिन परियोजनाओं से आंगनवाडी पुरस्कार हेतु अभ्यार्थी का चयन किया जा चुका है उन परियोजनाओं से आगामी दो वर्षों तक अवेदन नहीं किए जायेंगे। इस प्रक्रिया के अनुसार आवर्तन (रोटेसन) के आधार पर जनपद के स्वीकृत परियोजनाओं के सापेक्ष 1 / 3 (33 प्रतिशत) परियोजनाओं से पुरस्कार हेतु पात्र अभ्यार्थी का चयन किया जायेगा। जिन परियोजनाओं से आवेदन आमंत्रित किये जाने हैं, उन परियोजनाओं के नाम पोर्टल पर उपलब्ध है।
- जनपद में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रत्येक चयनित परियोजना से वरियता क्रम के अनुसार अधिकतम तीन नामों की संस्तुति की जायेगी।

2– तीलू रौतेली पुरस्कार हेतु– शासनादेश संख्या 1062 / XVII(4) / 2022– 155 / 2005 TC-1 दिनांक 12 जुलाई, 2022 के अधीन पात्र लाभार्थी का चयन किया जाना है, जिसमें अन्य प्राविधानों के साथ–साथ निम्न बिन्दुओं का विशेष संज्ञान लिया जायः–

- जिला स्तरीय समिति द्वारा जनपद से वरियता क्रम के अनुसार अधिकतम तीन नामों की संस्तुति की जायेगी। जिन पर जनपद स्तरीय चयन समिति अपना सुस्पष्ट मत की करेंगी।

- जिला स्तरीय समिति द्वारा इस **आशय का प्रमाण** पत्र अनिवार्य रूप से दिया जायेगा, कि नामाकंनकर्ता के विरूद्ध को कानूनी कार्यवाही जनपद में लंबित नही है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति के कम में जनपद स्तर पर प्राप्त नामांकन प्रस्तावों का शासनादेश संख्या 1062/XVII(4)/2022– 155/2005 TC-1 दिनांक 12 जुलाई, 2022 एवं शासनादेश संख्या 1063/XVII(4)/2022– 05(01)2022 दिनांक 12 जुलाई, 2022 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए प्राप्त नामांकन के क्रम में समिति द्वारा संस्तुति अभ्यर्थियों की सूची दिनांक–25 जुलाई, 2024 तक हार्ड एवं साफ्ट कॉपी में अनिवार्य रूप से निदेशालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। संबंधित सूची हस्ताक्षर सहित पोर्टल पर भी अपलोड की जायेगी।

संलग्नःयथोपरि।

(विक्रम सिंह)
उपनिदेशक

पृष्ठांकन संख्या तथा दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– समस्त जिलाधिकारी।
3– समस्त मुख्य विकास अधिकारी।

उपनिदेशक